भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1576

(31 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत संस्वीकृत एवं पूर्ण की गई सड़कों की लंबाई

1576. श्री राजीव शुक्ला:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) छत्तीसगढ़ में आज की तिथि तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के प्रत्येक चरण के अंतर्गत संस्वीकृत तथा पूर्ण की गई सड़कों की कुल लंबाई का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को छत्तीसगढ़ में पीएमजीएसवाई के अंतर्गत चल रहे कार्यों में विलंब संबंधी कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) छत्तीसगढ़ में पीएमजीएसवाई के अंतर्गत चल रही परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (घ) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) का शुभारंभ भारत सरकार द्वारा पात्र संपर्कविहीन बसावटों को बारहमासी सड़क संपर्कता प्रदान करने और मौजूदा ग्रामीण सड़क नेटवर्क को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किया गया था। समय के साथ, यह योजना विभिन्न घटकों के माध्यम से विस्तारित हुई है, जिनमें थ्रू रूट्रों और प्रमुख ग्रामीण संपर्कों (एमआरएल) के उन्नयन हेतु पीएमजीएसवाई-II, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना (आरसीपीएलडब्ल्यूईए), प्रमुख सामाजिक-आर्थिक विकास केंद्रों को जोड़ने वाली ग्रामीण सड़कों के सुदृढ़ीकरण हेतु पीएमजीएसवाई-III, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) की बसावटों को संपर्कता प्रदान करने हेतु पीएम-जनमन, तथा वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर पात्र संपर्कविहीन बसावटों को शामिल करने हेतु सितंबर 2024 में आरंभ की गई पीएमजीएसवाई-IV शामिल हैं।

ऑनलाइन प्रबंधन, निगरानी एवं लेखा प्रणाली (ओएमएमएएस) के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य में पीएमजीएसवाई के विभिन्न घटकों के अंतर्गत स्वीकृत, पूर्ण और शेष सड़क लंबाई का भौतिक ब्यौरा (25.07.2026 तक की स्थिति के अनुसार) निम्नानुसार है:

घटक	स्वीकृत सड़क लंबाई (किमी में)	पूर्ण सड़क लंबाई (किमी में)	शेष सड़क लंबाई (किमी में)
पीएमजीएसवाई-I	34,672	32,793	709
पीएमजीएसवाई-II	2,241	2,201	0
आरसीपीएलडब्ल्यूईए	2,967	2,459	462
पीएमजीएसवाई-III	5,606	5,583	0
पीएम-जनमन	2,902	1,827	1,062
पीएमजीएसवाई-IV	2,427	14	2,413

** स्वीकृत और पूर्ण लंबाई के अंतर की तुलना में शेष सड़क लंबाई कम है, क्योंकि कुछ परियोजनाएं सड़क लंबाई में कमी, संरेखण में परिवर्तन, अन्य एजेंसियों द्वारा आंशिक लंबाई के निर्माण आदि कारणों से स्वीकृत लंबाई से कम लंबाई में पूर्ण की गई हैं।*

छत्तीसगढ़ राज्य ने पीएमजीएसवाई-II और पीएमजीएसवाई-III के अंतर्गत स्वीकृत सभी कार्य पूर्ण कर लिए हैं। निर्माणाधीन शेष कार्यों के लिए लक्षित पूर्णता समय-सीमा इस प्रकार है:

i. **पीएमजीएसवाई-I एवं आरसीपीएलडब्ल्यूईए:** मार्च 2027

ii. **पीएम-जनमन:** मार्च 2028

iii. **पीएमजीएसवाई-IV:** मार्च 2029

विभिन्न समीक्षा बैठकों के दौरान राज्य द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, शेष कार्यों के क्रियान्वयन में विलंब के प्रमुख कारणों में दूरस्थ वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में पूर्व में आ रही सुरक्षा चुनौतियां, वैधानिक एवं वन मंजूरियां तथा कुछ ठेकेदारों की क्षमता संबंधी सीमाओं के कारण धीमी प्रगति शामिल हैं। हालांकि, राज्य ने अवगत कराया है कि सुरक्षा परिदृश्य में तब से महत्वपूर्ण सुधार हुआ है, जिससे चल रहे कार्यों के तीव्र क्रियान्वयन में सहायता मिलने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, लंबित वैधानिक मंजूरियों में तेजी लाने हेतु सक्रिय अंतर-विभागीय समन्वय किया जा रहा है और ठेकेदारों की देरी को दूर करने के लिए प्रदर्शन निगरानी सहित सख्त संविदा प्रबंधन उपाय लागू किए जा रहे हैं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों (आरआरएम), निष्पादन समीक्षा समिति (पीआरसी) बैठकों, पूर्व-अधिकार प्राप्त/अधिकार प्राप्त समिति बैठकों, तथा राज्यों के मुख्य सचिवों एवं प्रधान सचिवों के साथ उच्च-स्तरीय बातचीत के माध्यम से नियमित रूप से प्रगति की समीक्षा करता है।
